RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION JAIPUR

Project

on

Right To food in India

With kind inspiration from
Hon'ble Mr. Justice Nagendra Kumar Jain.
(Former Chief justice of Madras and Karnataka High Court)
Chairperson - R.S.H.R.C

NIVEDITA DEVAL

B.A. L.L.B. (Hons.) 2nd year

FYILC, Rajasthan university, Jaipur

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION, JAIPUR

Projects by Law Students

Under the guidance of

Chairperson ,
Justice N.K. Jain
(Former Chief Justice
High Court of Madras & Karnataka)

With best Compliments
RSHRC

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

Under the guidance of Hon'ble Mr. Justice N.K. Jain.

(Former Chief justice of Madras and Karnataka High Court)
Chairperson, RSHRC

Prepared by:-
Internship students of various law university and colleges.

Hon’ble Chairperson and Members Of Rajasthan State Human Rights Commission are :

From 06-07-2005

Justice N K Jain, Chairperson

Members

Justice Jagat Singh

Shri D.S.Meena

Shri Pukhraj Seervi

Hon’ble Chief *Minister Shri Ashok Gehlot*

RIGHT TO FOOD IN INDIA

SUBMITTED BY:-
NIVEDITA DEVAL

“In a world overflowing with riches, it is an outrageous scandal that more than 1 billion people suffer from hunger and malnutrition and that every year over 6 million children die of starvation and related causes. We must take urgent action now

Jean Ziegler

Vice-President of the UN Human Rights Council’s

Right to food

The **right to food**, and its variations, is a human right derived from the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). The UN Special Rapporteur on the right to food in 2002 defined it as follows:
Right to adequate food is a human right, inherent in all people, to have regular, permanent and unrestricted access, either directly or by means of financial purchases, to quantitatively and qualitatively adequate and sufficient food corresponding to the cultural traditions of people to which the consumer belongs, and which ensures a physical and mental, individual and collective fulfilling and dignified life free of fear

Supreme Court and the Right to Food

- While the Indian Supreme Court has reiterated in several of its decisions that the Right to Life guaranteed in Article 21 of the constitution in its true meaning includes the basic right to food, clothing and shelter (vi), it is indeed surprising that the justiciability of the specific Right to Food as an integral right under Art. 21 had never been articulated or enforced until 2001.

‘Right To Food’ under the Indian Constitution

- In India, under the Indian Constitution, there is no fundamental right to food but the fulcrum of justifiability of the right to food comes from a much broader “right to life and liberty” as enshrined in Article 21.(iv) Also **Article 51A** which forms a part of the DUTIES of State Policy of the Constitution is unambiguous: “The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties…”

World hunger exists mainly because of the following reasons:

- (1)Colonialism and the low-paid undeveloped countries sell to the highly paid developed countries because there is no local market because the low-paid people do not have enough to pay; and,
- (2) the current Third World land owners, producing for the First World, are appendages to the Industrialized world, stripping all natural wealth from the land to produce food, lumber, and other products for wealthy nations. This system is largely kept in place by underpaying the defeated colonial societies for the real value of their labor and resources, leaving them no choice but to continue to sell their natural wealth to the over-paid industrial societies that overwhelmed them. To eliminate hunger:

India has the largest food schemes in the World

- Entitlement Feeding Programmes
  - ICDS (All Children under six, Pregnant and lactating mother)
  - MDMS (All Primary School children)

- Food Subsidy Programmes
  - Targeted Public Distribution System (35 kgs/ month of subsidised food grains
  - Annapurna (10 kgs of free food grain for destitute poor)

- Employment Programmes
  - National Rural Employment Scheme (100 days of employment at minimum wages)

- Social Safety Net Programmes
  - National Old Age Pension Scheme (Monthly pension to BPL)
  - National Family Benefit Scheme (Compensation in case of death of bread winner to BPL families)

The Food Security Scenario in South Asia

Country	Food Production	Food Exports	Food Imports	Food Balance
Bangladesh	26,924	1.6	2,827	-4,601
India	1,74,655	9,490	56	23,826
Nepal	5,839	11	39	57
Pakistan	24,936	2,966	288	3,818
Sri Lanka	1,938	9.8	1,307	252
Source: FAO, 2004. *Figures in thousand metric tones for 2002*				

IMPACT SO FAR

1) Universalisation of MDMS (120 million children get school meals) and ICDS (Government would need to double the ICDS centers to 1.4 million centers covering 60 million children under the age of six)
2) Managed to restrict the lowering of BPL quotas by GoI from 36% to 26%
3) Increase in off-take of subsidized food-grains through the targeted public distribution system
4) Increased budgetary allocation for ICDS, Old Age Pensions (3 times the amount)
5) Passage of the National Rural Employment Guarantee Act which guarantees 100 days of employment a year (at minimum wages)

THE SUPREME COURT CASE

On April 16, 2001, the PUCL submitted a “writ petition” to the Supreme Court of India asking
three major questions:
1. Starvation deaths have become a National Phenomenon while there is a surplus stock of
food grains in government godowns. Does the right to life mean that people who are
starving and who are too poor to buy food grains free of cost by the State from the
surplus stock lying with the State particularly when it is lying unused and rotting?
2. Does not the right to life under Article 21 of the Constitution of India include the right to
food?
3. Does not the right to food which has been upheld by the apex Court imply that the State
has a duty to provide food especially in situations of drought to people who are drought
effected and are not in a position to purchase food.

SUPREME COURT CASE

- In Chameli Singh v. State of U.P,(1996)2 SCC 549 (viii) it was held that right to life guaranteed in any civilized society implies the right to food, water, decent environment, education, medical care and shelter.

Foodgrain Production (million tonnes)

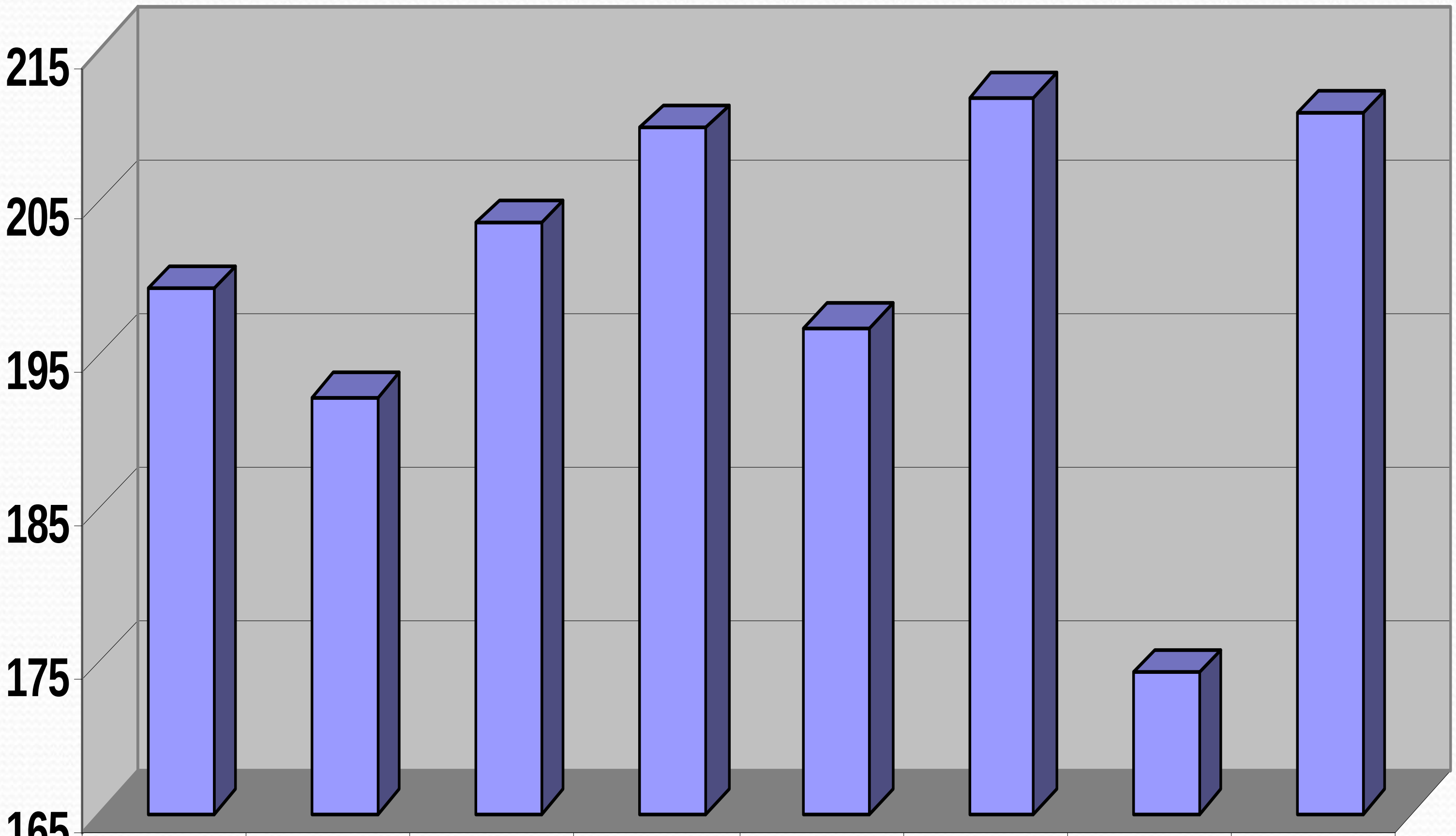

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
Series1	199.4	192.3	203.6	209.8	196.8	211.9	174.2	210.8

The Right to Food in the ICESCR

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) recognizes the "right to an adequate standard of living, including adequate food", as well as the "fundamental right to be free from hunger". The relationship between the two concepts is not straightforward. For example, "freedom from hunger" (which General Comment 12 designates as more pressing and immediate) could be measured by the number of people suffering from malnutrition and at the extreme, dying of starvation. The "right to adequate food" is a much higher standard, including not only absence of malnutrition, but to the full range of qualities associated with food, including safety, variety and dignity, in short all those elements needed to enable an active and healthy life. The ICESCR recognises that the right to freedom from hunger requires international cooperation, and relates to matters of production, the agriculture and global supply. Article 11 states that:

What is the State of Hunger in the World Today?

- In 1996, at the World Food Summit in Rome, governments reaffirmed the right to food and committed themselves to cut by half the number of people suffering from hunger and malnutrition by 2015. Thus, the 1996 Rome Declaration set the hunger reduction target at 420 million undernourished by 2015. Five years later, the 2002 World Food Summit was held to measure progress. It had become evident that little action has been taken with respect to the 1996 commitments.
- Whereas the normative framework of the right to food is clearly established in international law, in the past years, regression rather than the progressive realization of the right to food can be observed in practice. *An infamous record has been broken in 2009: more than 1 billion people are undernourished worldwide.* Asia and the Pacific is the region with the largest number of hungry people (642 million), followed by Sub-Saharan Africa (264 million). The latter has the largest prevalence of undernourishment relative to its population size 32 % (FAO, 2009).

India's Annual Growth Rate

Year	GDP	Per capita income
1951-79	3.6	1.3
1980-91	5.6	3.5
1992-06	6.5	4.7

RIGHT TO FOOD

A

FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT

1495 में से 221 नमूने अशुद्ध

मिलावटियों की मौज

खाद्य निरीक्षक के 34 पद 23 साल से खाली

मानवाधिकार आयोग ने उठाया सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल

जयपुर, 25 दिसम्बर (का.सं.)

इस साल खाद्य वस्तुओं के 1495 नमूनों में से 221 में मिलावट पाई गई, 2007 में 1903 में से 223 नमूने मिलावटी निकले। ये मिलावटी पदार्थ नमूने लेने के बाद भी बाजार में बिकते रहे। वजह, खाद्य निरीक्षकों की कमी से नमूनों की जांच समय पर नहीं हो पाई।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. बी.आर. मीणा ने स्वयं राज्य मानवाधिकार आयोग में एक मामले की सुनवाई के दौरान इसका खुलासा किया। 1985 से अब तक खाद्य निरीक्षक के 34 पद खाली हैं, उनके स्थान पर 21 स्वास्थ्य निरीक्षकों से काम लिया जा रहा है।

मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एन.के. जैन ने इस स्थिति पर गम्भीर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब समय पर कार्रवाई नहीं हो तो उसका फायदा क्या है? लम्बे समय तक खाद्य निरीक्षक के पदों को नहीं भरना सरकार की संवेदनहीनता है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए पर्याप्त प्रयोगशाला स्थापित करे और नियमित पात्र स्टाफ लगाए। आयोग ने परिवाद निस्तारित कर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से खाद्य निरीक्षकों के स्वीकृत पदों को शीघ्र भरने, मिलावटी वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए मुस्तैदी दिखाने को कहा है। साथ ही तीन माह में पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

हालात किसी से छिप नहीं है।

जानें किसके, क्या हैं अधिकार

मिलकर उठाएं मानवाधिकारों की आवाज

नगर प्रतिनिधि

जयपुर, 9 दिसम्बर। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के भी कुछ अलग अधिकार होते हैं। हम रोजाना अपने चारों ओर इनके साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में देखते-सुनते हैं। इन्हें ये सब अत्याचार क्यों झेलने पड़ते है। अगर हम इसके संबंध में जागरूक होंगे तो उठ सकती है एक आवाज उन्हें बचाने के लिए। यहां पेश है इस संदर्भ में कुछ जानकारी।

ये है मानवाधिकार

मानवाधिकार वे अधिकार है जो हर इंसान को जन्मजात मिले है। प्रत्येक मनुष्य को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीने का हक है। इनमें प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, अभिरक्षा में यातना और अपमानजनक व्यवहार ना होने संबंधी अधिकार हैं। इन अधिकारों का हनन धर्म, लिंग, जाति या भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की। उस समय विश्व की जनता द्वितीय विश्व युद्ध की पीड़ा से त्रस्त होकर शांति की चाह में थी। तभी से हर साल 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।

जानें बुजुर्गों के अधिकार

ऐसे बुजुर्ग जो अपनी कमाई या संपति से अपना खर्च नहीं चला पाते। उनको अपने बच्चों से गुजर-बसर का खर्चा लेने का पूरा हक बनता है।

महिलाओं के अधिकार

-पुरूषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन।

-महिला पुलिस ही ले सकती है स्त्री की तलाशी।

- स्त्रियों के साथ मारपीट, भावनात्मक व आर्थिक प्रताड़ना, गाली देना या ताने मारना आदि।

- पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना कानूनी अपराध।

- गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान मिलने वाली सुविधाएं।

- दहेज लेना या देना, सहायता करना व मांगना कानूनी अपराध है।

बच्चों के भी है हक

-जन्म के साथ ही राष्ट्रीयता।

-स्वस्थ पोषण, मकान सुविधा, शिक्षा।

-छोटी उम्र में बच्चों को मां से अलग नहीं किया जा सकता।

-प्राथमिक स्तर तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा।

-शोषण, क्रूरता, उपेक्षा के विरूद्ध सुरक्षा।

-विकलांग बच्चों की विशेष देखरेख।

-चौदह साल से कम उम्र के बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं कर सकते।

भाषा जिसमें शिकायत करें

हिन्दी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में शिकायत लिख सकते हैं। शिकायत के लिए कोई फीस नहीं है। शिकायत अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। आयोग जब भी आवश्यक समझे, आरोपों के समर्थन में और अधिक सूचना भेजने तथा शपथ पत्र दाखिल करने की मांग कर सकता है।

यूं करें शिकायत

एक सादा कागज पर हाथ से लिखकर या ई-मेल या फैक्स से निम्न सूचना अंकित करें-

पीड़ित का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, निवास का पूरा पता।

जिस व्यक्ति/अधिकारी/कार्यालय के विरूद्ध शिकायत है, उसका पूरा विवरण।

शिकायत/घटना/उत्पीड़न का पूरा विवरण (घटना, स्थान, तारीख, महिना, वर्ष सहित)।

घटना की पुष्टि करने वाले साक्षियों के नाम-पते (यदि ज्ञात हो)।

घटना की पुष्टि करने के दस्तावेजी सबूत (यदि हो तो)।

यदि किसी अन्य अधिकारी/ कार्यालय/मंत्रालय को शिकायत भेजी हो, तो उसका नाम एवं उस पर कोई कार्रवाई हुई, तो उसका विवरण।

पहले भी आयोग में शिकायत की हो, तो विवरण एवं परिणाम।

शिकायत पर हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जरूर लगाएं। घटना घटने के एक साल के भीतर ही शिकायत करें। शिकायत आयोग के टेलिफोन नंबर पर भी की जा सकती है।

1993 में हुआ आयोग का गठन

भारत सरकार ने मानवाधिकार की रक्षा और इनके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सितंबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मार्च, 2000 में हुआ।

पहल हमें करनी होगी

हम केवल अधिकारों की बात करते हैं। कर्तव्यों के बारे में नहीं सोचते। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वाहन सही करें तो किसी के मानवाधिकारों का हनन ही नहीं होगा। हम जैसा व्यवहार करते है वैसा ही व्यवहार चाहते हैं। इसके लिए पहल तो हमें ही करनी होगी। आजकल लोगों में मानवाधिकारों की वजह से जागरूकता आ रही है।

-जस्टिस एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग।

सपोर्ट की जरूरत

महिलाएं दिन-प्रतिदिन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती जा रही हैं। अब वे अत्याचार को सहन नहीं करती और इसके खिलाफ आवाज उठाती हैं। इसी का नतीजा है कि अब महिलाओं संबंधी मामले सामने आने लगे है। लेकिन उनको जितना जागरूक होना चाहिए वे उतनी जागरूक नहीं हुई है। वे आत्मनिर्भर तो बन रही है पर अब भी उनको घर और समाज का डर है। उन्हें आवश्यकता है अपनों के साथ की जिससे वे अपना सम्मान बचा सकें। फिर किसी भी मानवाधिकार का हनन नहीं हो सकेगा।

-तारा भण्डारी, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग।

जस्टिस एन.के. जैन की उत्कर्ष उपलब्धियां

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मानित अध्यक्ष जस्टिस एन.के.जैन एक ऐसी संवेदनशील, विनयशील व कर्तव्य परायण प्रतिभा है, जो राजस्थान की जनता, जनप्रतिनिधि, लोकसेवक व प्रबुद्धजनों को मानव अधिकारों के प्रति सचेष्ट व जागरूक करने में अपने आपको समर्पित कर दिखलाया है। आयोग के विगत 5 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान में लोकतंत्र व संविधान की आत्मा का स्वरूप निखरा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 ए को आत्मसात कराने में जस्टिस जैन ने व्यक्तिगत ईच्छाशक्ति का प्रदर्शन व निज कर्मपथ को गतिमान बनाया है वह श्लाघनीय ही नहीं अपितु लोकतंत्र के इतिहास में लिखने योग्य स्वर्ण पंक्तिया भी है। मैं यह घोषणा इसलिए कर रहा हूं कि मैंने जस्टिस जैन से बार बार साक्षात्कार लिए है और हर बार उन्हें मानव अधिकार और कर्त्तव्य निर्वहन पर काम करते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए, बोलते हुए और भ्रमण करते हुए मानव अधिकार व कर्त्तव्य बन गई है। वे सर्वत्र मानवीय संवेदनाओं व जीवनमूल्यों की खुशबू बिखेर रहे है। उनका प्रशासनिक कार्यालय एस.एस.ओ बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर है, किन्तु आमजन में जन जागृति लाने के लिए वे स्कूल, कॉलेज, क्लब, सभा, सम्मेलन, वर्कशॉप, विश्वविद्यालय, स्वैच्छिक संस्थाएं, फैडरेशन्स आदि में स्वयं उपस्थिति दर्ज कराते रहकर "विचार व प्रचार" का दर्शन फलीभूत करते है, अत वे लोकप्रियता व आत्मियता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। वस्तुत: जस्टिस जैन "सिद्धान्त व व्यवहार" के समन्वय को अद्भुत मिसाल है।

आयोग के विगत 5 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान में लोकतंत्र व संविधान की आत्मा का स्वरूप निखरा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 ए को आत्मसात कराने में जस्टिस जैन ने व्यक्तिगत ईच्छाशक्ति का प्रदर्शन व निज कर्मपथ को गतिमान बनाया है वह श्लाघनीय ही नहीं अपितु लोकतंत्र के इतिहास में लिखने योग्य स्वर्ण पंक्तिया भी है।

राज्य मानव अधिकार आयोग की पंचवर्षीय प्रगति-रिपोर्ट काफी रोमांचकारी है और राजस्थान के लिए गौरव जन्य उपलब्धियां है। प्रबुद्ध पाठकर्म के ज्ञानवर्द्धन हेतु प्रगति आंकड़े प्रेषित है-

विविध कानूनी व अन्य विषयों पर 32 लेखों का प्रकाशन।

आयोग द्वारा 18 बुकलेट्स प्रकाशित कर स्कूल लाइब्रेरी में।

आयोग की अनुमति से समाजसेवियों ने करीब 6000 पुस्तकें पुनः प्रकाशित करवाई और निः शुल्क वितरण की। संविधान आर्टिकल 51 ए की प्रतिभा के 80,000 से ज्यादा कलेण्डर्स और 50,000 पैम्फलेट्स छपवाकर राज्यभर में बंटवायें गये। कुछ संस्थाओं ने तो 4000 व्यक्तियों को ई-मेल भेजकर उक्त अभियान को परवान पर चढ़ाया है। आयोग द्वारा त्रैमासिक न्यूज लेटर का नियमित मुद्रण व प्रकाशन कर प्रोजेक्ट्स को फालोअप किया गया है। आयोग के 5 साल के कार्यकाप में 7 (दो पूर्व के वर्षों सहित) 16 न्यूज लैटर्स के अंक प्रकाशित करवाये हैं और वार्षिक प्रतिवेदन निश्चित समय पर प्रेषित किए गए है।

कॉलेज, यूनिवर्सिटी के 40 छात्र-छात्राओं द्वारा आयोग में इन्टर्नशिप के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए और तैयार की गई है।

कुछ विद्यार्थियों ने अन्य 14 विषयों पर व फिर 7 विषयों पर जैसे महिलाओं के अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, बालश्रम, पर्यावरण, रेगिंग, वूमेन ट्रेफिकिंग, कैंसर, एचआईवी एड्स, जुवेनाइल जस्टिस, फीमेल फॉर्टीसाइट, अर्टिकल 51 ए, आयोग व आयोग की गतिविधियों व दिशानिर्देशों पर पॉवर-पाइंट प्रोजेक्ट तैयार किए।

आयोग ने 14 विषयों की सीडी और फिर 7 विषयों की सीडी तैयार की। विद्यार्थियों की अपनी विभिन्न विषयों पर बनाई सीडी संबंधित लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दिखलाई जा रही है। साथ में करीब 23 संस्थाओं ने आयोग द्वारा उपलब्ध कार्य कई कन्सोलीडेटेड सीडी का अपने विभिन्न कार्यक्रमों में आमजन को विविध जानकारी के साथ प्रोजेक्टर पर प्रदर्शन करवाकर विद्यार्थी व आम नागरिकों से अवगत कराने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वह प्रशंसनीय है।

यह उल्लेखनीय है कि आयोग को पिछले 56 महीनों में करीब 17100 परिवाद प्राप्त हुए जिनमें से 16050 परिवादों का तर्कसंगत निष्कर्ष निकालकर निस्तारण किया गया। इस वर्ष भी 3251 दर्ज हुए जिनमें 2714 का निस्तारण किया जा चुका। यह प्रसन्नता का विषय है कि आयोग द्वारा प्रेषित 200 दिशा निर्देशों में राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों ने करीब 160 मामलों में क्रियान्विति कर आयोग को सूचित किया है।

जस्टिस एन.के.जैन (पूर्व मु.न्यायाधिपति मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट) वर्तमान चैयरपर्सन राजस्थान राज्य मानवअधिकार आयोग ने अपने साक्षात्कार में बार बार यह स्पष्टीकरण दिया है कि मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कर्त्तव्य का निर्वहन समर्पित भाव से किया जाए। क्योंकि एक में ही पुष्पित व पल्लवित हो सकता है। मानव अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन व क्रियान्वयन सम्पूर्ण मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता है। मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह स्वतंत्रता श्रीमद भागवत गीता के अन्दर दर्शायी गई है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोह मुक्त कर उसे अपने कर्त्तव्य निर्वहन के लिए प्रेरित किया और युद्ध के लिए तैयार किया। कृष्ण ने यह भी संदेश दिया

"कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्मफल हेतु भूर्मा तेसडोडस्त्व कर्मणि।।"

अर्जुन का कर्तवा है कि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करे और नपुंसकता त्यागे। युद्ध में हार-जीत की चिन्ता भी अर्जुन को नहीं करनी है क्योंकि फल-उसके हाथ में नहीं है, केवल कर्त्तव्य उसके हाथ में है।

आज हमारा देश विषद संविधान रखता है। उसी प्रस्तावना में मूलभावना दर्शायी गई है। देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ कर्त्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी अपेक्षा की गई है। तभी हम संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। इसलिए जैसा व्यवहार हम दूसरों से हमारे लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना होगा। विधि विशेषज्ञ व अनुभव सिद्ध जस्टिस जैन अपनी अवधारणाओं में काफी सुस्पष्ट हैं। वे पीड़ितों, महिलाओं, बालको व वृद्धजनों के प्रति समाज में सुन्दर व्यवहार की अपेक्षा रखते है और सरकार व व्यवस्थापकों से मांग करते हैं कि पीड़ितों व वृद्धों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात करे। जो गैर जिम्मेदराना तत्व या असामाजिक तत्व मानव अधिकारों को क्षति पहुंचाना चाहते है उन्हें उचित दण्ड मिलना चाहिए और समाज में सौहार्द व भाईचारा बचाना चाहिए। जैन धर्म में भी मानव अधिकारों का संरक्षण कर्त्तव्य निर्वहन में ही बतलाया गया है। आयोग द्वारा प्रकाशित "अणुव्रत एवं मानव अधिकारों" नामक बुकलेट में छोटी छोटी बातों का पालन करने पर बहुत बड़े अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते है, ऐसा दर्शाया गया है। जस्टिस जैन का मन्तव्य है कि हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थ मानव अधिकारों के संरक्षण एवं मानव मूल्यों के शिक्षण में काफी मददगार है। हमें उक्त ग्रन्थों में से ऐसे प्रकरण खोजकर समाज के सम्मुख रखने चाहिए जिससे स्थाई लाभ मिल सके और हमारा विश्वास बढ़ सके।

वस्तुत: चेयरपर्सन जस्टि एन.के.जैन ने राजस्थान को मानव अधिकारों के लिए जनजागरण करने में अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया है। आयोग की पंचवर्षीय प्रगति अभिनन्दनीय है, ऐसा मेरा अभिमत है।

– एम.एल. धौंकरिया

रौनक टाइम्स, दैनिक
E-Mail : nirmalrounaktimes@gmail.com

मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य मानवाधिकार आयोग ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

जयपुर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके लिए सतत प्रयासरत है। आयोग ने राज्य की आमजनता के साथ-साथ लोकसेवकों को समर्पित भाव से कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. जैन ने बताया कि यह आयोग कोई समानांतर कोर्ट या सरकार नहीं है, बल्कि लोकसेवकों से केवल अपना कार्य निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ करने की अपेक्षा करता है। उन्होंने बताया कि आयोग शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया में संबंधित विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर शिकायतों का निस्तारण करता है और समय-समय पर अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया जाता है।

जैन ने बताया कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक अनुच्छेद-51 ए में निहित भावों को समझे और उन्हें जीवन में पूरी ईमानदारी और संकल्प के साथ उतारे तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वत: ही हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से छेड़ी गई मुहिम का अनुसरण करते हुए कई स्कूलों में अनुच्छेद-51 में निहित भावों की पालना करने का संकल्प प्रार्थना के समय प्रतिदिन दोहराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग की अपील पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, जयपुर नगर निगम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इस मुहिम से जुड़कर लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है।

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि करीब 62 संस्थाओं ने अनुच्छेद-51 के प्रारूप के 20 हजार से ज्यादा केलेण्डर और करीब 80 हजार पैम्पलेट्स छपवाकर राज्यभर में कार्यक्रमों के दौरान बंटवाएं हैं। इस प्रचार-प्रसार से लोगों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जागरूकता पैदा हुई है।

उन्होंने बताया कि हर किसी को कानून की सम्पूर्ण जानकारी होना संभव नहीं है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग की ओर से विविध कानूनी विषयों पर लेख और बुकलेट्स प्रकाशित की गई हैं। इनमें से कुछ को पुन: प्रकाशित करवाया गया है। इसके अलावा कुछ बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से राज्य के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों एवं अन्य व्यक्तियों ने अपने प्रियजनों की याद में पुन: प्रकाशित करवाया है।

श्री जैन ने बताया कि महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, एचआईवी एड्स, मानवाधिकार, संबंधी करीब 70 हजार पुस्तकें आमजन में वितरित की गई हैं, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और शोषण से बच सकें। आयोग की ओर से एक त्रैमासिक न्यूजलैटर भी प्रकाशित किया जाता है, जिसमें आयोग की गतिविधियों सहित सभी नवीन जानकारियां शामिल की जाती हैं।

उन्होंने बताया कि 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रम संख्या-एक से तीस तक के सभी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में समाविष्ट कर लिया गया था। इस घोषणा पत्र के आधार पर मानवाधिकारों को भी संविधान में शामिल कर लिया गया। हर प्रकार के अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होता है, जो संविधान की मंशा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1977 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा व्यक्ति के मूल कर्तव्यों को आर्टिकल-51 ए के माध्यम से जोड़ा गया है, लेकिन तीन दशक बाद भी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने से हर व्यक्ति इसकी भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग इसी दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

अनुच्छेद-51 के अनुसार हमारे कर्तव्य हैं कि हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। एकता व अखंडता कायम रखने के लिए आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक रहें और लोगों को जागरूक करें व साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखें। प्राकृतिक स्रोतों यथा वन, झील, नदी और वन्यजीवों की रक्षा करें। स्वयं के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र के निर्माण एवं सेवा के लिए तत्पर रहें। धर्म, भाषा, प्रादेशिकता एवं वर्ग विभेद के नाम एक-दूसरे के विरोधी नहीं बनें।

Legal Awareness Programmes

- **For the awareness of the human rights in public at large, Justice Jain has wrote about 31 booklets of various legal issues. Out of these booklets 18 booklets have been published by the R.S.H.R.C. Many other organizations, District Legal Aid Authorities, Departments, Schools, Colleges etc. has also published some booklets like Women, Children, Dalits, Arrest, HIV/AIDS, Human Rights etc. by the permission of the Commission. They have distributed these booklets in 80000 in numbers.**
- **Some of these booklets are available on Commission's website www.rshrc.nic.in and justicenagendrakjain.com. English translation of Some booklets are also available on a German website herenow4u.de. :**

आर्टिकल–51ए में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता

(कलैण्डर्स, पेम्पलेट्स, पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशन के माध्यम से)

प्रायः यह देखा गया है कि आज हर व्यक्ति अपने अधिकारों की ही बात कर रहा है। परन्तु हम अपने कर्त्तव्यों के प्रति कम सजग है। इसलिए लोगों में मानवीय अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों के प्रति सजग रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जस्टिस एन0के0जैन ने *भारतीय संविधान के अनुच्छेद–51–ए* में वर्णित मुख्य कर्त्तव्यों की मंशा के अनुरूप का एक प्रारूप तैयार करवा कर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं/ विभागों/संस्थाओं को भेजकर एक नई मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत् करीब 100 स्कूल/संस्थाओं में सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प को दोहराया जा रहा है, जो प्रशंसनीय है। इसके अलावा अन्य कई संस्थाओं में भी संकल्प की यह प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय का मानना है कि इस संकल्प से व्यक्तियों में अच्छे संस्कारों के साथ–साथ मानवीय मूल्य एवं नैतिकता को बढावा मिलेगा और लोगों में अपने अधिकारों के साथ–साथ कर्त्तव्यों की पालना में भी काफी हद तक जागरूकता पैदा होगी।

1. श्री कालीचरण सर्राफ, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री,
2. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग,
3. श्री पी.डी. सिंह, डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,
4. मैडम उर्मिल वर्मा, प्रिंसिपल, महावीर पब्लिक स्कूल
5. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सम्बद्ध (Affilated) कॉलेज
6. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग,
7. अति0 निदेशक (शैक्षिक) प्रारम्भिक शिक्षा, राज0 बीकानेर
8. मैडम प्रिया मिश्रा शेखावत, डायरेक्टर, सैन्ट्रल एकेडमी
9. श्री गोस्वामी जी व श्रीचन्द्र साहू–भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड जेल)
10. मैडम प्रेरणा अरोड़ा, 'पहल' पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर (सडक सुरक्षा हेतु एन.जी.ओ.)
11. परम भागवत शिक्षा एवं सामाजिक विकास संस्थान, *(NIFESM)* जयपुर।
12. प्रयास, सेन्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग
13. श्री दिगम्बर जैन नसियां उदयलाल जी ट्रस्ट, जयपुर
14. वर्ल्ड विजन इण्डिया, जयपुर
15. हैडकॉन
16. जैन अनुशीलन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय
17. नवमंगल शिक्षा समिति, जयपुर
18. जयपुर चाईल्ड लाईन– डायल 1098
19. भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड जेल)
20. विद्या ट्रस्ट, जयपुर
21. जे.पी.जे. फायनेंसियल सर्विसेज, राजापार्क, जयपुर
22. पहल, पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर
23. डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जयपुर
24. प्रिंसिपल डी.ए.वी. सेन्टेनरी स्कूल, वैशाली नगर, जयपुर
25. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई स्कूल एलुमिनी एसोसियेशन, जयपुर

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

26. जयपुर बाल श्रमिक परियोजना संस्था, जयपुर
27. प्रिंसिपल सैन्ट्रल एकेडमी, महावीर नगर, जयपुर
28. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर
29. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, राजसमन्द
30. भारतीय यूनेस्को क्लब महासंघ, राजस्थान, भीलवाडा
31. प्रेसिडेंट, लायन्स क्लब, जयपुर (District 323 E -1Club No. 026309)
32. भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जयपुर
33. मोदी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साईंस, लक्ष्मणगढ
34. प्रिंसिपल अग्रवाल बी.एड. कॉलेज, जयपुर
35. निदेशक, बियानी गर्ल्स कॉलेज, विद्याधर नगर, जयपुर
36. प्रिंसिपल, एस.वी.एम. पब्लिक स्कूल, अम्बावाडी, जयपुर
37. प्रिंसिपल, सुबोध पब्लिक स्कूल, जयपुर
38. जैसवाल कुटीर उद्योग, डी-2, रमन मार्ग, जयपुर-4
39. सुरभि एक्सपोर्ट, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, गुरुनानकपुरा, जयपुर
40. राजस्थान पेंशनर समाज/जिला पेंशनर्स समाज, जयपुर
41. K.M.G. College of B.Ed.
42. K.M.G. Teachers Training Institute
43. K.M.G. College of Arts and Science
44. Thiruvallur Elementary and Higher Secondary School, Vellore
45. *लोकशिक्षक* पत्रिका में प्रकाशन
46. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर द्वारा प्रकाशित *'मृत्युंजय'* में प्रकाशन
47. राजस्थान पेंशनर्स समाज द्वारा पेंशनर्स पत्रिका में प्रकाशन
48. प्रेसिडेन्ट लायन्स क्लब *(District 323 E--1 Club No. 026309)* व जैना प्रिंटर्स, जयपुर
49. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर
50. भारतवर्षीय दिगम्बन जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी मुम्बई, राजस्थान अंचल
51. विद्यास्थली ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्युशन्स, जयपुर
52. रेडिमेड सेन्टर, जौहरी बाजार, जयपुर
53. Cosmic Yoga Combine, Kanti Nagar, Station Road, Jaipur
54. Jaipur Diabities &Research Centre, Near Ridhi-Sidhi, Gopalpura Bypass, Jaipur
55. विनायक फार्मा, डी–74 घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
56. श्रीमती ललिता देवी, रामचन्द्र कासलीवाल ट्रस्ट, जयपुर
57. जयपुर जिला बैडमिन्टन एसोसियेशन, जयपुर
58. राजस्थान पॉलिटेकनिक कॉलेज, रतनगढ (चुरू) व सम्बल सेवा संस्थान, जयपुर।
59. Dr. B.Lal Clinical Laborty, Jaipur.
60. वैशाली हितकारी संगठन नागरिक हितों का सजग प्रहरी, जयपुर
61. राजधानी होटल, जयपुर।
62. हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग, श्री देश दीपक

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

आयोग की इस मुहिम को पूर्व वर्षो में उक्त 62 संस्थाओं द्वारा जनजागरूकता एवं संरक्षण कार्यक्रम में अपने आपको जोडते हुए मुहिम को आगे बढाया। इसी कडी में वर्ष 2009–2010 में भी बहुत सी संस्थाओं द्वारा आयोग के जन जान–जागरुकता के कार्यक्रम को बढ़तो हुये सूचित किया गया है। जिनमें से कुछ निम्नांकित है :–

63. जयपुर थियोसोफिकल लॉज, जयपुर
64. महेश्वरी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, जयपुर
65. कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर
66. Zunitech Consulting Pvt. Ltd. Banglore/ Delhi
67. राजधानी हास्पीटल, जयपुर
68. श्रीमती ललिता देवी रामचन्द्र कासलीवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर
69. धामू एण्ड कम्पनी, जयपुर
70. विमुक्ति संस्थान, जयपुर
71. भारतीय दिगम्बर तीर्थ क्षेत्र कमेटी, मुम्बई
72. श्री देश दीपक, सचिव लोकायुक्त सचिवालय, हिमाचल प्रदेश
73. जयपुर नगर निगम
74. अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा पत्रिका, मथुरा
75. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, सी.पी. टेंक, मुम्बई ।
76. राजस्थान जैन सभा, जौहरी बाजार, जयपुर ।
77. हैल्प एज {इण्डिया} जवाहर नगर, जयपुर {हिन्दी/अंग्रेजी}
78. सम्बल सेवा संस्थान, रतनगढ़ चुरु ।
79. स्व0 श्री गणेशमल बैद राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, रतनगढ़।
80. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन {धर्म संरक्षिणी} महासभा, नई दिल्ली ।
81. कमिश्नर मुख्यालय, नगर निगम, जयपुर ।
82. यातायात पुलिस, जयपुर
83. विंग ऑफ रिसर्च इन लोकल डेवलपमेन्ट *WORLD* जयपुर
84. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई सैकडरी स्कूल एलुमनी एसोसियेशन, जयपुर (हिन्दी/ अंग्रेजी)
85. M.D. Group of Education, Sikandara, Agra (English/Hindi)
86. गीता बजाज महाविद्यालय, जयपुर
87. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, राजस्थान अंचल, जयपुर
88. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
89. The Little Pixies School, Vidyut Nagar, Jaipur
90. दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान, जयपुर
91. लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान
92. देश और व्यापार बीकानेर से प्रकाशित मासिक पत्रिका
93. निदेशक, राजस्थान पुलिस एकेडमी, नेहरू नगर, जयपुर
94. दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीर जी, करौली
95. Children's Educational Society, Bhilwara
96. माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सेदन, बझेरा (भरतपुर)
97. विद्या ट्रस्ट, 19, कीर्ति नगर, श्याम नगर, जयपुर (पुनःप्रकाशित)
98. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर (पुनःप्रकाशित)

93. राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित स्मारिका– 2010
94. समाचार जगत– समाचार पत्र में प्रकाशित
95. रौनक टाईम्स' समाचार पत्र में प्रकाशित
96. 'दैनिक नवज्योति' समाचार पत्र में प्रकाशित
97. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स के *'राजस्थान चैम्बर संदेश'* (अंक– अप्रेल–2010)
98. स्व0 गेंदीलाल शाह, एडवोकेट की स्मृति में लॉयन कैलाशचंद व अजय शाह द्वारा
99. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन कमेटी, मुम्बई अंचल कार्यालय– जयपुर के अध्यक्ष अशोक नेता
100. सेंट पॉल्स इंगलिश स्कूल, भदादा बाग, भीलवाडा
101. राजस्थान किडनी केयर व किडनी पेशेन्ट एसोसियेशन, जयपुर
102. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर
103. इण्डियन अस्थमा केयर सोसायटी, जयपुर
104. हैल्प एज द्वारा *World Elder Abuse Awareness Day* पर
105. International Summer School of Jain Studies, New Delhi

Students reciting the oath of section 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.

chairman motivated students and even general public to recite the pledge as mentioned in article 51(A) of Constitution of India. It is good sign that so many schools have started taking prayer as per instructions of different concerned authorities as per the request of the commission. Some of them are as follows

Reciting the Pledge - Fundamental duties mentioned in
Article 51 - A, Constitution of India
"We are proud to be an Indian"
It shall be the duty of every citizen of India :
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;
(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(I) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.
for legal awareness and in public interest published by -
RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION
sos building secretariat jaipur. www.rshrc.nic.in / www.herenow4u.de

Rajasthan State Human Rights Commission

“BEWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION”

Chairperson : Justice N.K. Jain

Students of some institutions reciting the Oath as per Article 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.

TIME LINE

1) 1948 Universal Declaration of Human Rights recognises in Article 25 that "Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control
2) 1976 ICESCR comes into force
3) 1993 International Food Security Treaty (IFST) developed in USA and Canada
4) 1996 World Food Summit
5) African Charter on Human and Peoples' Rights.
6) 2007 Special Rapporteur on the Right to Food, country *mission to Bolivia and* Cuba.
7) 2008 Special Rapporteur on the Right to Food, Mr. Oliver De Schutter, was appointd

The problems encountered in implementing RTF include

(i) resource constraints;

(ii) problems of governance and lack of political will; (iii) lack of an overall framework for implementation and monitoring;

(iv) lack of appropriate indicators and benchmarks for monitoring;

(v) difference in nature of challenges in rural and urban areas.

Fundamental Duties Art 51-A

- **The Commission under the guidance of the Hon’ble Chairperson is making the common people aware about the duties mentioned in Art. 51(A) of the Constitution.**

How to Ensure Right to Food?

- Steps required to be taken for ensuring the progressive realization of RTF include:
- Reforms in procurement and buffer stock; Involvement of the private sector; Decentralized procurement; Diversification of crops; Income policy for farmers; Deciding optimum buffer stock level; Reforms in PDS (i.e. Public Distribution System); and, Effective implementation of nutrition and employment programmers etc.
- The High Level Committee on Long-term Grain Policy has made recommendations about the food policy. (xii) The Right to Food Campaign Proposal advocates the expansion of the employment guarantee throughout the country and a social security system. Since employment is linked to purchasing power and therefore to food security, right to employment is crucial for realizing the Right to Food.

ROLE OF GOVERNMENT(HRC) & NGOs

- Although the main responsibility of realizing RTF lies with the government (HRC), it is submitted that the coordination of government (HRC) with NGOs and other members of the civil society are important. However, NGOs also need to work on the principles of transparency and accountability. Moreover the government (HRC) should bring reform in PDS for effective realization of this right and open more fair price shops

JUSTICE

Justifiability is essential for the implementation of the right to food to enable people to seek a remedy and accountability if their right to food is violated. Today the right to food is indeed justifiable and can be adjudicated by a court of law but notwithstanding these encouraging developments at the national and international levels, a great deal remains to be done to ensure the justifiability of the right to food.

food crisis,

- As a consequence of the food crisis, world leaders and public opinion seem to have finally acknowledged that agriculture cannot be continuously neglected and that the underinvestment trend of the last 30 years must be reversed. Indeed, if followed by articulated and targeted action such commitment can bridge the de jure stipulations on the right to food and the de facto tragic realities. It is a statistical fact that already before the skyrocketing of the food prices and the economic recession most households under the extreme poverty line were to be found in rural areas. 7 out of every 10 poor individuals lived in a household where agriculture represented the main occupation of the head, and lower average incomes among these households is a constant pattern across all regions and countries (WB, Global Economic Prospects, 2009). Hence, investment in agriculture if targeted to address the needs of this particular group of people can have real and significant effects in terms of realizing the right to food.

Conclusion

- The study about this right shows that the root cause of the world hunger is poverty apart from other causes. So it is indeed very essential that to eliminate hunger poverty should be addressed at the first place because even if the availability of food grain is sufficient then also due to lack of purchasing power poor people cannot access to food.
- The major problem relates to economic access to food. Self-sufficiency has increased at the national level but not at the household level.
- Though there has been a decline in malnutrition, nearly half of the rural children still suffer from malnutrition. Provision of safe drinking water has also not been satisfactory, particularly in rural areas.

Suggestions

- Need to improve the basic infrastructure and management of resources
- Establishing special courts to deal with cases of food corruption and BIACK MARKETING
- Establish a Legal commission for Independent Investigative of food Agencies.
- Last but not least now every body should discharge duty with devotion
- human right Commission is making the common people aware about the duties mentioned in Art. 51(A) of the Constitution

मानवाधिकार और कर्तव्य

■ न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

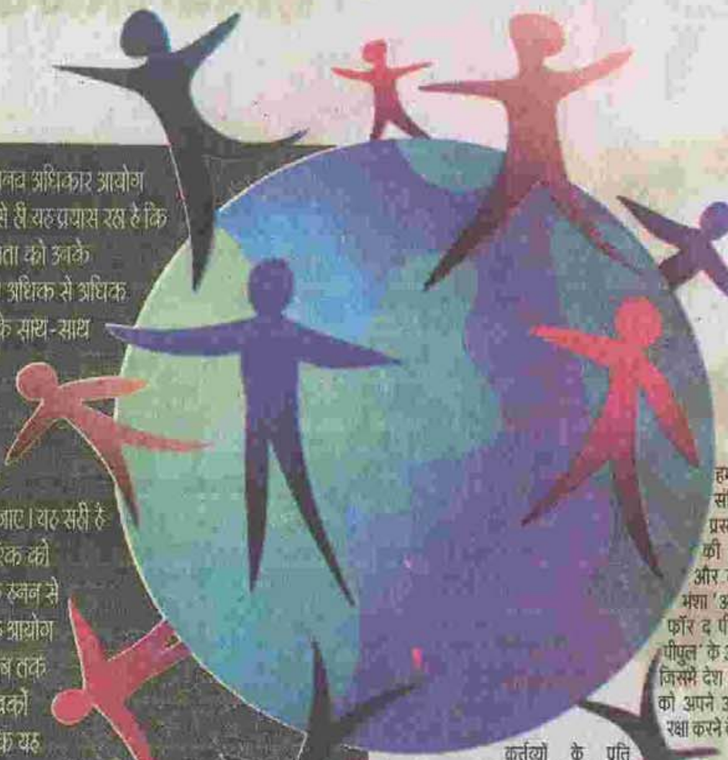

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का इसके गठन से ही यह प्रयास रहा है कि राज्य की आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के साथ-साथ लोक सेवकों को समर्पित भाव से कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया जाए। यह सही है कि प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकारों के हनन से बचाने के लिए यह आयोग बनाया गया है। अब तक राज्य के लोक सेवकों की यह सोच थी कि यह आयोग कोई समानान्तर कोर्ट/सरकार नहीं है, अपितु यह तो लोक सेवकों को अपने-अपने कार्य निष्ठा और संवेदनशीलता से करने की अपेक्षा करता है और आयोग तो सुशासन में ही मददगार है। अब उनकी सोच में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। आयोग द्वारा शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया में संबंधित विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर लॉजिकल कन्क्लूजन से इनका निस्तारण करने के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जाकर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि समृद्ध लोग तो अपने अधिकारों की रक्षा करने एवं मानवाधिकारों के हनन को रोकने में सक्षम है, किन्तु हमें हर वर्ग, खासतौर पर पीड़ित, दलित एवं कमजोर वर्ग के साथ-साथ बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी। इसलिए हमें अहम् भाव नहीं रखकर सेवा भाव, मानवीय दृष्टिकोण, संवेदनशीलता एवं सद्भावना से कार्य करना होगा।

यही बात हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना, लोगों की मूल भावना और लोकतंत्र की मंशा 'ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाइ द पीपुल' के अनुरूप भी है, जिसमें देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी अपेक्षा की गई है। तभी हम संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। एक सुदृढ़ लोकतंत्र के तीन स्तंभ होते है- विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तीनों ही स्तंभ अपने- अपने हिसाब से काम कर रहे है। इनमें कोई छोटा- बड़ा नहीं है। साथ ही, लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए प्रेस भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है व उसकी अहम् भूमिका रहती है।

जैसा व्यवहार हम दूसरों से हमारे लिए चाहते है, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना होगा। अतः सभी वर्ग के लोगों से मानवाधिकार आयोग की अपेक्षा है कि वे मानवाधिकारों का संरक्षण करें। यह किसी का अधिकार है तो किसी का कर्तव्य। दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकार के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी और तभी हम देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायक होंगे। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रम संख्या- एक से तीस तक के सभी आर्टिकल 26 जनवरी 1950 के हमारे संविधान में समाविष्ट कर लिए गए है। इस घोषणा पत्र के आधार पर व्यक्ति के मानवाधिकारों को तो संविधान में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार के अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होता है, जो संविधान की मंशा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1977 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा व्यक्ति के मूल कर्तव्यों को आर्टिकल- 51 ए के माध्यम से जोड़ा गया। तीन दशक बीत जाने के बावजूद इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने से हर व्यक्ति इसकी भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। कहा जाता है कि 'इग्नोरेंस ऑफ ला इज नो एक्सक्यूज' परन्तु हर किसी को कानून की सम्पूर्ण जानकारी होना संभव नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विविध कानून विषयों पर लेख/ कई बुकलेट्स प्रकाशित की गई है, जिनमें से कुछ को पुनः प्रकाशित करवाया गया है। इसके अलावा कुछ बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से राज्य की विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों व कई व्यक्तियों द्वारा अपने प्रियजनों की याद में पुनः प्रकाशित करवाया गया। कुछ बुकलेट्स जैसे महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, एचआईवी/एड्स, ह्यूमन राइट्स की 70000 पुस्तकों का प्रकाशन कर आमजन को वितरित किया। इस पुनीत कार्य का प्रदेश के नागरिकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आयोग उनके इस कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। आयोग द्वारा प्रकाशित 'त्रैमासिक न्यूजलेटर' के माध्यम से भी आयोग के कार्यकलापों की अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इन 60 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है और अभी बहुत कुछ करना शेष है, लेकिन अधिकारों के बारे में पिछले कुछ वर्षों से ही चर्चा हो रही है। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मेरा विनम्र प्रयास है कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक आर्टिकल- 51 ए में निहित भावों को समझे और उन्हें अपने जीवन में पूरी ईमानदारी और संकल्प के साथ उतारे, तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति देश का सच्चा और अच्छा नागरिक बनेगा तथा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भावना प्रबल होगी। मानवाधिकारों के प्रचार- प्रसार के साथ-साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल- 51ए की मंशा के अनुरूप लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए आयोग द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत कई स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प दोहराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग की अपील पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, जयपुर नगर निगम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपने कार्य के साथ-साथ इस जागरूकता कार्यक्रम में जुड़कर लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। छात्रों को प्राथमिक शिक्षा से ही यह संकल्प दोहराना अनिवार्य होना चाहिए ताकि उनकी बाल्यावस्था से ही देश एवं संविधान के प्रति आदर भाव एवं अच्छे संस्कार बने। साथ ही, कर्तव्यों के प्रति समर्पितता की भावना जागृत हो। करीब 62 संस्थाओं द्वारा इस प्रारूप के 20000 से ज्यादा कलेण्डर्स और करीब 80000 के करीब पेम्पलेट्स छपवा कर राज्यभर में अपने कार्यक्रमों के दौरान बंटवाने बाबत् अवगत कराया है। आयोग को पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के प्रचार- प्रसार से विद्यार्थियों तथा लोक सेवकों के साथ-साथ आमजन भी अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण एवं देश के प्रति त्याग की भावना का अधिक से अधिक विकास होगा।

मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूं

भारतीय संविधान के आर्टिकल- 51 ए में हमें संविधान का आदर करने एवं कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए कहा गया है। संविधान का आदर करने का अर्थ है, हम अपना स्व का आदर और अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे है। इसी प्रकार राष्ट्र ध्वज हमारे देश की आन-बान और शान का प्रतीक है। इसके तीन रंग- केसरिया, सफेद और हरा क्रमशः बलिदान, शांति और प्रगति के प्रतीक है और मध्य में नीले रंग का अशोक चक्र धर्म की राह पर चलने का संदेश देता है। हमें इसका तहेदिल से सम्मान करना चाहिए। जो तिरंगे और राष्ट्रगान के महत्व को समझते हैं वे तो इलिट्रेट होने के बावजूद इनको पूर्ण सम्मान व आदर देते है, परन्तु आज हम देख रहे है कि गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चौराहों पर जगह- जगह कागज और प्लास्टिक के राष्ट्र ध्वज बिक रहे है तथा लोग इसे खरीद भी रहे हैं। परन्तु इन ध्वजों को खराब हो जाने पर इन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है। यह राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं तो और क्या है? इसके अलावा यह भी देखने में आता है कि पढ़े लिखे लोग क्रिकेट एवं अन्य खेल देखते समय गालों पर तिरंगे बनवाते है तथा तहमद की तरह लपेटते है और जीतने की खुशी का इजहार इस तरह से करते है कि तिरंगा जमीन और पैरों में आ जाता है, जबकि किसी भी खिलाड़ी द्वारा राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर भारतीय तिरंगे फहराते हुए राष्ट्रगान बजने पर भी ध्यान नहीं जाता है या वे इसके प्रति गंभीर नहीं है। अतः हमें इस प्रवृति से बचना होगा और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। सिनेमा हॉल अथवा किन्हीं अन्य विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान बजने पर हमें संविधान की मुद्रा में खड़े होकर इसको सम्मान देना चाहिए।

जिस प्रकार देश की आजादी से पहले हमारे महान् राष्ट्र नायकों ने भारत छोड़ो आन्दोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार संबंधी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने जैसे अनेकानेक आंदोलन चलाए थे और अपने त्याग और बलिदान से देश के लोगों को समर्पण भाव से शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, जिससे देश को आजादी मिली। उसी प्रकार आज हमें देश की एकता एवं अखण्डता कायम रखने के लिए आतंकवाद का मुकाबला और भ्रष्टाचार मिटाने जैसे ज्वलंत एवं समसामयिक समस्याओं के प्रति स्वयं जागरूक रहने के साथ-साथ अधिक से अधिक अन्य लोगों को भी साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करना होगा। यह हमारा कर्तव्य भी है और ऐसे उच्च आदर्शों की पालना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है।

हमारी धरती सदैव से ही प्रकृति पर आश्रित रही है। यदि प्रकृति ही हमारे साथ नहीं रही तो धरती। का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें संविधान की मंशा के अनुरूप हमारे प्राकृतिक स्रोतों यथा वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करनी होगी। इनके संरक्षण के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने होंगे। यदि इनका अस्तित्व नहीं रहेगा तो मानव का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रकृति से छेड़छाड़ हमारे जीवन से खेलने के समान है।

मानवाधिकार और कर्तव्य

■ न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

देखा गया है कि आज मनुष्य स्वयं अपने तक ही सीमित होकर रह गया है। यह प्रवृत्ति ठीक नही है। हमें स्वयं के साथ- साथ समाज एवं राष्ट्र की सेवा के लिए भी तत्पर रहना होगा क्योंकि राष्ट्र का निर्माण समाज से, समाज का निर्माण परिवारों से तथा परिवारों का निर्माण व्यक्ति से होता है। नारी ही प्रत्येक परिवार की धुरी होती है। इसी क्रम में प्रत्येक माता ही बच्चों की प्रथम गुरु होती है। स्त्री की सामाजिक प्रबंधन क्षमता तुलनात्मक रूप से पुरुष से अधिक होती है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी तरक्की की है। आज भी महिलाओं के प्रति उपेक्षा एवं उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि वह महापुरुषों की जननी है। इसलिए हमें चाहिए कि इनके संरक्षण एवं सुरक्षा के दायित्व को निभाएं तथा इनके सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का विरोध करें और अधिक से अधिक लोगों को ऐसी प्रथाओं के परित्याग के लिए प्रेरित करें।

आज जगह- जगह धर्म, भाषा, प्रादेशिकता एवं वर्ग- विभेद के नाम पर लोग एक दूसरे के विरोधी होते जा रहे हैं। यह स्थिति ठीक नही है। यह समाज और देश के लिए अत्यंत घातक है। धर्म समाज का पोषण करता है। कोई भी धर्म शोषण की बात नहीं कहता है। अपनी। आस्थाओं के अनुसार धर्म हर व्यक्ति को अनुशासन में रहना सिखाता है। दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो, धर्म इस बात की तरफ भी आकर्षित करता है। हमें सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाते हुए सभी धर्मों का आदर करना होगा। सम्पूर्ण देश हमारा है। यहां के सभी निवासी हमारे भाई- बंधु ही हैं। किसी भाषा विशेष अथवा क्षेत्र विशेष पर किसी एक का अधिकार नहीं है। यह बात भी हमें सच्चे मन व ईमानदारी से अपने दिल में उतारनी होगी।

अहिंसा परमोधर्मः और वसुधैव कुटुम्बकम जैसे आधारभूत सिद्धान्त हमारे देश की ही देन है। आज सम्पूर्ण विश्व हमारी इन मान्यताओं का कायल है। हमारे संविधान में भी इन्हीं सिद्धान्तों को समाहित करते हुए प्राणी मात्र के लिए दयाभाव रखने की बात कही गई है। दया धर्म का मूल है अर्थात जहां दया है, वही धर्म निवास करता है। 'अहिंसा' दया का सबसे बड़ा उदाहरण है। किसी भी काम को करने के लिए यह देखना जरूरी है कि उस काम से किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। हिंसा मनुष्य की मानसिक विकृति को दर्शाती है। हमारे संविधान की मंशा भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति दया रखें और हिंसा से दूर रहे। सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति हमारी है। हम ही इसके निर्माता और हम ही इसके संरक्षक हैं। हमें ही इसे भोगना है। अतः इसकी संरक्षा के लिए हमें कृतसंकल्प रहना होगा। आज अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलनों के नाम पर देश की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना आम बात हो गई है। देश की सम्पत्ति के नुकसान का अर्थ है कि हम अपने आपको उतना ही अधिक पीछे धकेल रहे हैं। कानून बनाने मात्र से देश की सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। यह सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें स्वयं ही जागरूक होना होगा तथा यह बात भी हमें बखूबी समझ लेनी चाहिए कि देश की सम्पत्ति का विध्वंस हमारा अपना स्वयं का विध्वंस है। जिस प्रकार प्राचीन काल में हमारे ऋषि- मुनियों, धर्म गुरूओं, विद्वानों, आचार्यों, कवियों तथा साहित्यकारों ने सम्पूर्ण विश्व में भारत का परचम फहराया और अपनी अलौकिक शक्तियों व ज्ञान का लोहा मनवाया, उसी प्रकार आज के इस वैज्ञानिक युग में हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा भी आधुनिक तकनीक और अपनी योग्यता के बल पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की प्रगति को अग्रणी बनाया हुआ है। अतः हमें हमारे वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण, विद्वानों की मानवता और धर्मगुरूओ द्वारा चलाए जा रहे सुधारवादी विचारों का तहेदिल से आदर करना चाहिए, क्योंकि सेवा का भाव सभी के अन्दर है। बस इसे इन्कलकेट करना होगा। यही हमारे देश के संविधान की मंशा है। भाईचारे की भावना और एक दूसरे के सुख- दुःख में भागीदारी हमारे देशवासियों में प्राचीन काल से चली आ रही है। परस्पर भाईचारा घर- परिवार व बुजुर्गों के साथ समन्वय बनाए रखना आज के समय की आवश्यकता है। यह परम्परा हमें यथावत जारी रखनी होगी। इसे अनदेखा करना हमारे लिए घातक हो सकता है। यही हमारे संविधान की मंशा है। हमें सकारात्मक विचार एवं बदलाव की जरूरत है। हमें स्वार्थ की भावना से उठकर स्वयं की प्रगति एवं उन्नति के साथ-साथ समाज के कल्याणार्थ चलाई जा रही गतिविधियों में भी बढ़चढ़ कर सहभागिता निभानी होगी और सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति हेतु सामूहिक प्रयास करने होंगे। जो समय की मांग है। यही हमारे संविधान की मंशा है। हर मां-बाप अपने च्चों की उन्नति के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो उसकी क्षमता से अधिक व अच्छी पढ़ाई करवाकर बड़ा आदमी, पैसे वाला, स्टेट्स वाला बनाना चाहते है। आज का बच्चा नोलेजेबल इन्टीलीजेंट व अच्छा आईक्यू रखने वाला है। पर मानवीय मूल्यों की अधिक जरूरत है क्योंकि कम्प्यूटर संस्कार नही दे सकता। संस्कार तो मां-बाप के आचरण व गुरूजनो से ही प्राप्त होते हैं, परन्तु हिप्पोक्रेसी की वजह से हम बच्चों को मौलिक शिक्षा देने से चूक रहे हैं, जिसका नतीजा आज के भौतिक युग में हम सभी देख रहे है। इसलिए संविधान में वर्णित कर्तव्यों के बारे में उनको बताना जरूरी है। उक्त सभी बातें हमारे संविधान के आर्टिकल 51ए में निहित है। इसलिए मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मेरा विनम्र प्रयास है कि हर मां-बाप की जिम्मेदारी है कि वह संविधान के आर्टिकल 51 ए में वर्णित शब्दों, विचारों एवं भावों को समझे और दूसरों को भी समझाए।

हालांकि देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। लेकिन जब तक हम शिक्षा को बढ़ावा और बेरोजगारी एवं कुरीतियों को दूर कर मानसिकता में बदलाव नही लाएंगे, तब तक पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। हमारे देश के सभी धर्म और साम्प्रदायों के संत, आचार्य और धर्मगुरू भी आमजन को सद्गुणों, मर्यादित जीवन के साथ मानवीय मूल्यों पर चलने की बात कहते हुए अच्छा नागरिक बनने की सलाह दे रहे है। फिर भी यदि उनके द्वारा संविधान में निहित कर्तव्यों का बोध कराया जाए तो आमजन में इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सभी धर्मों का निचोड़ हमारे संविधान के आर्टिकल- 51ए में है कि हम विनयशील बनें और अहिंसा के साथ परस्पर समन्वय, सुहार्य, सहिष्णुता, दया, क्षमा, पवित्रता और नम्रता जैसे सुखद मार्ग पर चलें, जिससे सही मायने में जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके। आज एक तरफ तो देश मैट्रो ट्रेन चलाने, चांद पर पहुंचने की बात कर रहा है और देश में बड़ी- बड़ी इमारतें और बड़े- बड़े मॉल्स बन रहे हैं, और हम देश की सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) 9 प्रतिशत तक ले जाने की बात कर रहे है और कुछ/ महानुभाव देश- विदेश के समृद्ध लोगों की लिस्ट में शुमार है और उच्च स्तर की बातें कर रहे है। दूसरी तरफ देश की 70 प्रतिशत जनता इन सभी बातों से अनभिज्ञ है। गरीब और अधिक गरीब हो रहा है और वह अपनों से ही शोषित हो रहा है, जिसको दूर किए जाने की जिम्मेदारी सभी की है।

आयोग के समक्ष विभिन्न प्रकार की शिकायतों के साथ-साथ इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं कि खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट हो रही है, पर्यावरण और पेड़ लगाने के नाम पर अपने मकानों के आगे अतिक्रमण किया जा रहा है, मादक पदार्थों को बढ़ावा व जानवरों की तस्करी, महिलाओं- बच्चों एवं मानव अंगों की तस्करी की जा रही है, बुजर्गों, महिला व बालकों के प्रति समन्वय में कमी आ रही है और संवेदनशीलता नहीं बरती जा रही है।

यह सब स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, मानवीयता के अभाव, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण है। साथ ही, बिना परिणाम के बारे में सोचे समझे कि जनता को क्या संदेश जा रहा है, सिनेमा और टीवी पर विज्ञापन प्रसारित किए जाकर जनता की भावना को भुनाया जा रहा है। सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ-साथ, इन सब बातों का निराकरण स्वयं की सही एवं सकारात्मक सोच के बिना संभव नहीं है। सिर्फ सरकार व कानूनी प्रक्रिया से ही यह सब संभव नही है। इसलिए आम जनता को जागरूक रहकर अपने कर्तव्यों को निर्वहन पूर्ण क्षमता और निष्ठा के साथ करना होगा। वैसे तो हर व्यक्ति को सभी कुछ मालूम है, परन्तु क्रियान्विति की कमी है।

इसलिए इस लेख के माध्यम से मेरा सादर निवेदन है कि स्वयं शुद्धि के साथ हर क्षेत्र में अग्रणी बंधु, शिक्षक, धार्मिक गुरू, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता व मीडिया को समाज के पुनः निर्माण में ईमानदारी से अहम भूमिका निभानी होगी तथा समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा, जिससे मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी। इसलिए हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह जीवन में संकल्प ले तथा व्यवहार में नैतिकता, ईमानदारी और विश्वास के साथ काम करें। लोग अपने कर्तव्यों को समझे, उनकी पालना करें, जिससे उनके अन्तःकरण में परिवर्तन के साथ-साथ सकारात्मक सोच का भी प्रादुर्भाव होगा और वह देश की एकता और अखण्डता कायम रखते हुए अपने आत्मकल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

Reciting the Pledge — fundamental duties mentioned in Article 51-A, Constitution of India

"We are proud to be Indian"

It shall be the duty of every citizen of India:

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

"BE AWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION ."

Chairperson : Justice N.K. Jain (Former Chief Justice - Madras and Karnataka High Court)

For Legal awareness and in Public Interest published by :
Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur

website : rshrc.nic.in, herenow4u.de http://justicenagendrakjain.com

Courtesy : Rajasthan State Co-operative Press Ltd., Jaipur
Phone : 0141-2751417, 2751352

मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाये : मुख्यमंत्री

मानवाधिकारों का नहीं होने देंगे हनन

मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने की मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष से मुलाकात

जयपुर, 4 मार्च। राज्य सरकार मानवाधिकारों को लेकर पूरी तरह गंभीर है किसी भी स्तर पर मानवाधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार की नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने मानवाधिकार आयोग की बेहतर कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन को आश्वस्त किया। मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने बुधवार को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन से मानवाधिकार आयोग के कार्यालय में मुलाकात की। लगभग आधा घंटे तक चली मुलाकात में दोनों के बीच मानवाधिकार के मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। जैन ने सिंह को मानवाधिकारों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी। श्रीमती सिंह ने मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिकार के स्थान पर कर्तव्य की प्रतिज्ञा दिलवाने के अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि यह अभिनव प्रयोग है इससे बालकों के बीच अच्छे संस्कार पैदा होंगे। मंगलवार को जैन से राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हरीश मीणा ने मुलाकात की थी।

हर थाने में लगेंगे कानूनी जानकारी के सूचनापट्ट

पुलिस महानिदेशक मीणा ने की मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जैन से मुलाकात

जयपुर, 3 मार्च। राजस्थान पुलिस आम नागरिकों को मानवाधिकारों और कानून की जानकारी देने वाले सूचनापट्ट हर थाने में लगाएगी। पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा ने मंगलवार को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायाधीश एन के जैन को आश्वस्त किया कि मानवाधिकारों के मामले में पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा ने मंगलवार को मानवाधिकार आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन. के. जैन से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग पौन घंटा बातचीत हुई। जैन ने मीणा को आश्वस्त किया कि सुप्रीम कोर्ट के डी के बसु मामले में थाने में आम नागरिक को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश की पालना की जाएगी। जैन ने जानकारी दी कि मानवाधिकार आयोग में शिकायत के बाद परिवादी को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के मामले सामने आए हैं। ऐसे मामले में कठोर कार्रवाई की जाए। मीणा ने ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। दोनों के बीच मानवाधिकार की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग और पुलिस के बीच सामन्जस्य स्थापित करने पर विचार-विमर्श हुआ।

मानवाधिकारों के प्रति जागरूक रहो

ध्यानाकर्षण

वेद व्यास

राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल का ही आज यह परिणाम है कि आयोग ने सैकड़ों सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की प्रदेश में अलख जगा रखी है और यह साबित कर दिया है कि कठिन और जटिल राज्य व्यवस्था के भरोसे न रहकर जनता का मानवाधिकारों के प्रति सशक्तिकरण किया जाए।

हजारों साल के इतिहास में मनुष्य और प्रकृति की सर्वोच्चता का जयघोष पढ़ने, सुनने के बाद आज 21वीं शताब्दी की वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच यदि कोई संकट में है, तो वह मनुष्य और प्रकृति ही है। दुनिया के 192 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणापत्र को पढ़कर चकित और हैरान हैं, क्योंकि मनुष्य समाज को खुद अब यह पता नहीं है कि उसका भविष्य क्या है? एक तरफ विज्ञान ने मनुष्य का यन्त्रीकरण कर दिया है, तो दूसरी तरफ पूंजीवादी विकास ने समाज का बाजारीकरण कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ही, जहाँ 9-10 प्रतिशत विकास दर की शेखी बघारी जा रही है, वहाँ आज 77 प्रतिशत आबादी केवल 20 रुपये रोज पर जीने को लाचार है। कानून का शासन और मानवाधिकार की सारी बातें हवाई हैं, क्योंकि आज भी समाज में 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' का संविधान ही लागू है। इस तरह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक न्याय और समानता के सभी सिद्धांत ऐसे लग रहे हैं, जैसे कि हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग-अलग होते हैं।

मानवाधिकारों की मशाल को लेकर भूखे-नंगे आदिवासी-वनवासी तो अब नक्सलवादी बन गए हैं, तो दलित जातियां अम्बेडकरवादी हो गई हैं। कोई उग्रवादी, तो कोई पृथकतावादी हो गया है। ऐसे में आतंकवाद की सारी अवधारणाएं जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता की कोख से ही जन्म ले रही हैं। पूरे मनुष्य समाज में और प्रकृति की संरचना में इस तरह का जलवायु परिवर्तन आ रहा है कि- अधिकारों के प्रति जागरुकता भी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कर्तव्यों की इतिश्री भी हो रही है। हिंसा और प्रतिहिंसा के इस कठिन समय में मानवाधिकारों की बातें अब केवल अदालती फैसलों तक सीमित हो गई हैं। हमें लगता है कि वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार एक भ्रम है और असमानता एक यथार्थ है।

मानवाधिकार के जंगल में लगी इस आग को बुझाने के लिए राज्य व्यवस्था के अपने संविधान और कानून हैं, तो अन्याय और शोषण के हथियार चलाने वाले समाज के अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र हैं। आज साम्राज्यवादी और धर्मभीरु धनी देशों से कोई यह नहीं पूछता कि- वियतनाम पर परमाणु बम गिराने का अधिकार उसे किसने दिया था और फिलस्तीनी को उनकी मातृभूमि से बेदखल किसने किया था और अफगानिस्तान, ईराक और पाकिस्तान को तबाह क्यों किया जा रहा है और खाड़ी के अरब देशों में तथा दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक और आर्थिक हस्तक्षेप की रणनीति कौन थोप रहा है? आज पूरी दुनिया के छोटे-बड़े देश इसीलिए गुलामी के द्वीप समूह बनते जा रहे हैं कि पूंजी + सैनिक + विज्ञान से लैस कुछ अमीर देश ही गरीब देशों की स्वायत्तता और संप्रभुता को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में जब राष्ट्र और राज्यों के अधिकार ही लूटे जा रहे हैं, तब भला मनुष्य के अधिकारों की चर्चा यहाँ कौन करेगा? आज भारत में भी मानवाधिकारों को लेकर कोई गंभीर चिन्ता किसी शासन और प्रशासन में इसलिए ही नहीं है कि राज्य व्यवस्था का चेहरा, चाल और चरित्र ही समता और न्याय विरोधी है। यहाँ लोकतांत्रिक सरकारें ही मानवाधिकार की अदालत में सबसे बड़ी अपराधी हैं तथा पुलिस और प्रशासन कहीं भी संवेदनशील, पारदर्शी तथा जवाबदेह नहीं है। आजादी के बाद 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या से लेकर 2002 में हुए गुजरात के अल्पसंख्यक विरोधी हिंसक उपद्रव भी इस बात के ही गवाह हैं कि मानवाधिकार के प्रति, राज्य व्यवस्था की पोषित राजनीति में कोई जगह नहीं है। 1984 के दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगे और 25 साल पहले भोपाल की गैस त्रासदी में हजारों बेगुनाहों की मौतें और सांप्रदायिक हिंसा से लथपथ हमारा लोकतंत्र आज तक इस बात पर चुप है कि मानवाधिकारों से इन सभी बेकसूर मरने वालों का भी कोई रिश्ता-नाता था।

इस तरह भारत में मानवाधिकारों की दास्तान इसलिए भी दर्द भरी है कि यहाँ संविधान से लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे सभी संस्थान तो बने हुए हैं, लेकिन असलियत में यह सभी आयोग निहत्थे और प्रभावहीन हैं, क्योंकि यहाँ सरकारी संस्थाएं ही सबसे अधिक संगठित मानवाधिकार विरोधी

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993-94 के अंतर्गत मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का मार्च, 2000 में गठन हुआ था। कहने को यह आयोग भी एक स्वायत्तशासी संस्थान है, लेकिन इसकी अभी नियुक्तियां, बजट और दिशा-निर्देशों की अनुपालना राज्य सरकार ही करती है। वर्तमान में अलवर निवासी और मद्रास एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नगेंद्र कुमार जैन इसके अध्यक्ष हैं। यह आयोग हर साल अपने कार्यकलापों का प्रतिवेदन भी सरकार और विधानसभा को सौंपता है। अब आप ही बताइए कि क्या आपने कभी इस राज्य मानवाधिकार आयोग की आपबीती कहानी सुनी है और क्या आप इसी तरह राज्य अल्पसंख्यक आयोग, लोकायुक्त, राज्य महिला आयोग अथवा किसी अन्य आयोग की कही-कराई से परिचित हैं? इस स्थिति का सीधा-सा कारण बस यही है कि राज्य व्यवस्था जग दिखाई के लिए, संस्था-दर-संस्था तो बनाती है, लेकिन उसका संरक्षण वह खुद कभी नहीं करती।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन इस संवेदनहीन वातावरण में समाजोन्मुख होकर जो मानवाधिकारों का जन शिक्षण अभियान चला रहे हैं, हम उसकी तारीफ में आज यही कुछ कहना चाहते हैं कि मानवाधिकार के प्रश्नों को आम जनता और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से प्रचारित-प्रसारित करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल का ही आज यह परिणाम है कि आयोग ने सैकड़ों सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की प्रदेश में अलख जगा रखी है और यह साबित कर दिया है कि कठिन और जटिल राज्य व्यवस्था के भरोसे न रहकर जनता का मानवाधिकारों के प्रति सशक्तिकरण किया जाए। इसी अभियान के तहत न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन ने अब तक कोई 32 लघु पुस्तिकाएं जन सहयोग से छपवाकर अधिकतर स्कूल-कॉलेजों में वितरित करवा दी हैं तथा आयोग से एक त्रैमासिक बुलेटिन भी जारी कर रखा है।

अभी हाल में न्यायमूर्ति जैन द्वारा लिखित और संकलित पुस्तक - 'मानवीय मूल्य, कर्तव्य एवं अधिकार' को पढ़कर मुझे यह कहना पड़ता है कि पूरे देश के किसी राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस तरह जन शिक्षक की भूमिका अभी तक नहीं निभाई है। भले ही वर्तमान में इस मानवाधिकार आयोग की रचनात्मक सामाजिक कार्यकर्ता की कार्यशैली को शासन व्यवस्था न समझे, लेकिन मानवाधिकार को लेकर साहित्य का प्रकाशन राजस्थान के लिए एक ऐसा उल्लेखनीय प्रयास है, जो आने वाली युवा पीढ़ी को मानवाधिकारों के लिए जरूर प्रेरित करता रहेगा।

हम जानते हैं कि मानवाधिकार के लिए जारी जन संघर्ष एक निरंतर प्रक्रिया है और किसी सभ्य समाज के निर्माण में मानवाधिकारों का सम्मान होना अनिवार्य है। राजस्थान में अरुणा राय का सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अभियान भी इसी तरह जनता के बुनियादी अधिकारों को मजबूत करने का ही अभियान है। हमारा यह पूंजीवादी लोकतंत्र आज इसीलिए मानवाधिकारों की अनदेखी करता है, क्योंकि जनता के अधिकारों को मजबूत करने से न्याय, समता और अहिंसा का पक्ष मजबूत बनता है, जबकि, राज्य व्यवस्था प्रायः हिंसा और दमन से चलती है।

राजस्थान क्योंकि आज भी एक सामंतवादी और जातिवादी समाज है- इसीलिए यहाँ सत्ता और व्यवस्था का चरित्र भी शोषण और असमानता पर ही आधारित है तथा सारा खेल ताकत पर आधारित है। पूरी लोकतांत्रिक चुनावी प्रणाली ही यहाँ इस बात की गवाह है कि पुलिस केवल राजनीतिक सत्ता से डरती है तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उसके मन में कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रदेश में मानवाधिकारों की प्रासंगिकता आज इसलिए भी अधिक है, क्योंकि यहाँ आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाएं ही सबसे अधिक सामाजिक-आर्थिक उत्पीड़न का शिकार हैं तथा जनशिक्षण का उनमें अभाव है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसीलिए जनता के लिए और जनता के बीच और जनता के द्वारा मानवाधिकार तथा कर्तव्यों को- शिक्षण के विकल्प के रूप में चलाया है और राज्य व्यवस्था को याद दिलाया है कि लोकतंत्र की नींव के प्रहरी हमारे मानवाधिकार ही हैं।

sunday
दैनिक भास्कर
भारत का सबसे बड़ा समाचार पत्र समूह
कुल पृष्ठ 32 + 4 = 36 | मूल्य 2.00 रु.
जयपुर, 21 जून 2009
www.bhaskar.com

राजस्थान में नई कार्य संस्कृति पैदा करने व राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए अनूठी पहल

रोज बोलेंगे- गर्व है, मैं भारतीय हूं

राष्ट्रीय भावना व सौहार्द विकसित करने के लिए मानवाधिकार आयोग ने जारी किए निर्देश। अफसर-कर्मचारियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का स्मरण करना होगा।

मदन कलाल, जयपुर

राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग की अनूठी पहल के तहत प्रदेश के करीब 8 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों को अब दफ्तरों में अपना कामकाज शुरू करने से पहले राष्ट्रीय कर्तव्य दोहराने को कहा गया है। कुछ सरकारी दफ्तरों और कर्मचारी संगठनों ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। ...शेष | पेज 8

ये है आयोग का दैनिक संकल्प

[illegible]

जयपुर. राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के सदस्य दैनिक संकल्प लेते हुए।

जयपुर · सोमवार 22 जून, 2009

web www.bhaskar.com सिटी भास्कर

पहल रंग लाएगी

राष्ट्रीय भावना जगाने के मकसद से राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल युवाओं को पसंद आई। वे मानते हैं कि अच्छी शुरुआत हो तो सही, एक न एक दिन उसका असर जरूर होगा। संकल्प एक प्रार्थना के रूप में बार-बार बोला जाएगा तो बेशक रंग लाएगा।

सिटी रिपोर्टर | जयपुर

राज्य मानवाधिकार आयोग की इस खबर से कि प्रदेश के करीब आठ लाख से अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑफिस में काम शुरू करने से पहले राष्ट्रीय कर्तव्य का स्मरण करना होगा, युवाओं को आश्चर्य होने के साथ खुशी भी हुई। एकबारगी तो उनके रिस्पांस में आशंका नजर आई, लेकिन आंधी के झोंके की तरह वो भी गुजर गई। कुछ देर की चर्चा के बाद उन्होंने आशा जताई कि अच्छी पहल है, सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा होने से क्या सचमुच कोई फायदा होगा? पर किसी ने कहा कि अभ्यास से हर नामुमकिन बात भी संभव हो जाती है, मानने में कोई हर्ज नहीं है।

एलबीएस की स्टूडेंट रोमा माथुर कहती हैं, राष्ट्रीय कर्तव्यों को हर रोज स्मरण करने की जरूरत सही मायने में मंत्रियों या नेताओं को है। उनमें राष्ट्रीय भावना जाग गई तो अधिकारियों व कर्मचारियों में भी जाग जाएगी। आजादी से पहले के नेता राष्ट्र प्रेम के जीवंत मिसाल थे। वे आज कितनी की बात हो गए हैं। हम सबसे पहले आज के नेताओं में यही जीवंत देखना चाहते हैं। इंजन के सही दिशा और गति से चलने पर बाकी डिब्बे भी उसी का अनुसरण करेंगे। यही बात नेताओं, फिर प्रशासनिक स्टाफ पर लागू होती है।

एक निजी कंपनी में एक्जीक्यूटिव मौलश्री का कहना था, राष्ट्रीय कर्तव्य को दोहराना प्रार्थना के समान है। इसमें विभाग के आला अफसर से लेकर निचले स्तर तक के कर्मचारियों की सहभागिता हो। जो भी बिना किसी दबाव के। ऐसा नहीं कि कर्तव्य को दोहराने के समय उनके दिमाग में मीटिंग, फाइलें, अधूरे काम को पूरे करने की टेंशन जैसी दूसरी बातें हों। वे ध्यान से प्रार्थना की तरह इसे दोहराएं। अगर ऐसा होता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा स्थिति 'ढाक के तीन पात' जैसी ही होगी।

आरएएस की स्टूडेंट वकुल महेश को यह बात जमी नहीं। उसने कहा, आयोग का कहना है कि वह इस मुहिम को परिवारों में ले जाना चाहता है। देश की आम जनता (जिसमें भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी शामिल नहीं हैं।) में राष्ट्र प्रेम की भावना कूट-कूटकर भरी है। उन्हें असली जरूरी पाठ है। आरक्षण के आधार पर समाज को बांटने वाले इसे याद करें। वंचित लोगों को आगे बढ़ने में बाधाएं खड़ी करने रसूखवाले इसे बार-बार दोहराएं। मैं पूरी तरह इसकी सफलता को लेकर आशान्वित नहीं हूं, पर ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है?

इंजीनियर्स के एक ग्रुप में शामिल अजेश, हेमंत चौधरी, मनोज, अमित और विक्रम ने इस अनूठी पहल का स्वागत किया। वे कहते हैं, अच्छी शुरुआत करने में हर्ज ही क्या है? राष्ट्रीय कर्तव्य को प्रतिदिन एक समय में एक साथ कई लोगों द्वारा दोहराने से निश्चित रूप से असर पड़ेगा। सौ में से एक व्यक्ति के अंदर भी सोई हुई राष्ट्रीय भावना जाग गई तो यह भी बड़ी सफलता होगी। यह कहना मुश्किल नहीं कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे, जिन्हें राष्ट्रीय कर्तव्य याद हों। इसी बहाने अधिकारियों व कर्मचारियों को ये कर्तव्य रट जाएंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वे 'तोता रटंत' की तरह रिजल्ट नहीं देंगे।

आयोग द्वारा विभिन्न विभागों का उनके नियमित कार्यो की निरन्तर मोनिटरिंग करने बाबत् निर्देश

आयोग द्वारा विभिन्न परिवादों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जैसे– मंदबुद्वि व्यक्तियों के ईलाज, पर्यावरण सुरक्षा, बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा भूख व कुपोषण से होने वाली मौतों पर नियंत्रण करने आदि। साथ ही, असहाय, मंदबुद्वि, मनोरोगी, निःशक्तजन एवं लावारिस लोगों की निःशुल्क चिकित्सा व अन्य सुविधा के लिए भी कोई योजना बनाने और जब तक सुचारू योजना लागू ना हो, ऐसे पीडितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए किसी भी कल्याणकारी योजना के तहत् उन्हें लाभांवित करने। इसके अलावा हिरासत में होने वाली मौत की एफ.एस.एल. रिपोर्ट्स के प्राप्त होने में अनावश्यक विलम्ब तथा आवश्यक सेवाओं में रिक्त पदों की पूर्ति, शहरों में सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई समय पर कराने, विभिन्न विभागों द्वारा सडकों की खुदाई व शीघ्र मरम्मत के लिए आपसी समन्वय, अतिक्रमणों की रोकथाम के साथ–साथ शहर में पार्किंग व्यवस्था सुचारू एवं सुव्यवस्थित करने, विवाह स्थलों पर सफाई एवं पार्किंग की नियमानुसार व्यवस्था, लोकमित्र मे बिलों की जमा की प्राप्ति रसीद साफ व गहरी प्रिंटिंग वाली देने, जन सुविधा केन्द्र बनाने, पॉलिथिन की थैलियों के प्रयोग पर रोकथाम, मेलों में मानवाधिकारों की जानकारी आदि के लिए भी समय–समय पर राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए जाते रहे हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य के सभी अस्पतालों में मशीनों एवं उपकरणों की समय पर मरम्मत व रख–रखाव करने, एच0आई0वी0 पीडित/ किडनी पेशेन्ट के ईलाज, कैंसर पीडित के लिए सोर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने, जेलों में बंदियों को नियमानुसार दिए जाने वाली सुविधाऐं सुनिश्चित करने, बहुमंजिला भवनों में पार्किंग सुविधा, बिजली के खुले एवं नंगे तारों तथा ट्रांस्फारमर को सुव्यस्थित करने, आवारा पशुओं को आम रास्तों व सडकों से हटाने, पेंशनर्स को समय पर ईलाज व दवाईयां मुहैया कराने, मासूम छोटे स्कूली बच्चों के स्कूल बैग का बोझ कम करने, स्कूलों का समय तर्कसंगत करने, स्कूलों में पानी, बिजली, शौचालय की माकूल व्यवस्था करने और बच्चों को लाने–लेजाने वाले ऑटो– टेम्पों, वैन आदि में बच्चों को जगह से कहीं अधिक मात्रा में नहीं भरकर ले जाने की सुव्यवस्था, इसके अलावा कई अन्य तथा कठपूतली नगर ज्योति नगर में रहने वाले व कठपूतली का तमाशा दिखाने में कार्यरत लोगों के लिए कठपूतली ग्राम बनाने पर विचार करने, बूस्टरों का अवैध प्रयोग रोकने, के सम्बन्ध में निर्देश दिए है।

इसके अलावा आयोग के आदेशों की अनुपालना में महानिदेशक (पुलिस) के द्वारा दिए गये दिशा– निर्देशों के बावजूद पुलिस थानों में एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाने की शिकायतों पर अन्य संस्थाऐं बिला वजह अनुसंधान कर अपनी रिपोर्ट आयोग को परिवाद के रूप में भेजती है। इसलिए पुलिस का यह दायित्व है कि वह परिवादी की शिकायत पर तुरन्त एफआईआर दर्ज कर, निष्पक्ष व त्वरित अनुसंधान करें। पुलिस थानों में फरियादियों के साथ अच्छा सलूक करने तथा जिला एवं पंचायत स्तर पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने आदि के लिए भी आयोग ने समय–समय पर विभिन्न परिवादों में निर्देश जारी किए, साथ में लोगों से यही अपेक्षा की है कि मानव अधिकारों के संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार है, तो किसी का कर्तव्य, दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। सुशासन के लिए अधिकारीगण से अपेक्षा की है कि वह जनहित में कार्य करें, लोक सेवकों के साथ–साथ यह आम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वह लोक सेवकों को कर्तव्य निर्वहन में सहयोग देवें जिससे काम में पारदर्शिता व संवेदनशीलता बनी रहे और आम नागरिकों को परेशानी न हो तथा निरन्तरता के लिए मोनिटरिंग करते रहे।

> "It has always been a mystery to me how men can feel themselves honoured by humiliation of their fellow beings."
>
> "There is a higher court than the court of justice and that is the court of consciousness. It supersedes all other courts"
>
> **- Mahatma Gandhi**

Bibliography

www .Mid day meal programs. COM

www. Food com

www. unicef.com

Food cooperation in India

ACKNOWLEDGEMENT

It gives us great pleasure to express our deep sense of gratitude to all concerned for the encouragement We have completed this project. We are very much thankful to Rajasthan State Human Rights Commission in particular Chairperson, Hon'ble Justice N. K. Jain for giving us a chance to do the internship in this Rajasthan Human Rights Commission.

NIVEDITA DEVAL

B.B.A. L.L.B. (Hons.) 2nd year Rajasthan university Jaipur

Mob-9772201354

E-Mail Id- NIVEDITA DEVAL @GMAIL.COM

THANK YOU